पत्रांक– मु0अ0–4(मु0)विविध(कार्य)–23–250 / 2019 . 5018

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

18/9/19

पटना, दिनांक 18/9/2019

विषय : ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न राज्य योजनाओं के निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन हेतु स्थापित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या मु0अ0–4(मु0)विविध(कार्य)–23–30 / 2016 1360 / पटना, दिनांक 24.06.2016 की कंडिका 3(iii) में "एक स्वतंत्र अभियंता के लिए दो PIU होगें" के स्थान पर "**एक स्वतंत्र अभियंता के जिम्मे एक PIU होगें**"की स्वीकृति के संबंध में।

1. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण पथ की कुल उपलब्ध 124357.38 कि0मी0 की लम्बाई में से 90315 कि0मी0 ग्रामीण सड़क का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 17082 कि0मी0 की लम्बाई के साथ–साथ मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, ग्राम टोला संपर्क निश्चय योजना एवं अन्य राज्य योजनाओं के तहत 16914.42 कि0मी0 की लम्बाई में पथों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बिहार राज्य ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के तहत अगले तीन वर्षो में 44601 कि0मी0 पथों का अनुरक्षण संपन्न कराये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2019–20 में 17500.00 कि0मी0 से अधिक लंबाई पथों का अनुरक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ–साथ इन पथों के बीच पड़नेवाले पुल–पुलिया का निर्माण / अनुरक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है।
2. इस प्रकार बड़ी संख्या में पूर्ण किये गये / निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित पथों एवं पुलों की गुणवत्ता का प्रबंधन एक गंभीर चुनौती है। राज्य सरकार की निधि से कार्यान्वित योजनाओं के निरीक्षण तथा गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गुणवत्ता प्रबंधन कोषांग गठित है जिसके अधीन त्रिस्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पथों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत दूसरे स्तर की जाँच सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा करायी जा रही है।

(89)

3. (i) विभागीय संकल्प संख्या मु0अ0–4(मु0)विविध(कार्य)–23–30 / 2016 1360 / पटना,दिनांक 24.06.2016 की कंडिका 3(iii) में अंकित है " **एक स्वतंत्र अभियंता के जिम्मे 2 PIU होगें** तथा उनके कामों का सतत् अनुश्रवण विभागीय कोषांग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा"। इस प्रकार विभाग के 108 प्रमण्डलों के लिए उपलब्ध स्वतंत्र अभियंताओं की संख्या वर्तमान में 54 है। यह संख्या मानक गुणवत्ता निरीक्षण की आवृति के कार्यबोझ के अनुसार प्रर्याप्त नहीं है। **प्रत्येक प्रमण्डल के लिए एक स्वतंत्र अभियंता की सेवा की उपलब्धता बनाये जाने पर लक्षित संख्या में पथों / पुल–पुलिया के निरीक्षण का कार्य संतोषजनक तरीके से पूरा किया जा सकेगा।**

(ii) इन स्वतंत्र अभियंताओं की सेवा भी पूर्व की तरह आउटसोर्ससिंग के माध्यम से ली जायेगी। Service Provider Agency को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वतंत्र अभियंताओं की सेवा के विरूद्ध विभाग के साथ किये गये एकरारनामा के तहत BRRDA के माध्यम से राज्य योजनाओं के प्रशासनिक मद से भुगतान किया जायेगा।

(iii) इसके लिए प्रतिवर्ष 3,88,80,000 (तीन करोड़ अठ्ठासी लाख अस्सी हजार रूपया) अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी।

4. ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न राज्य योजनाओं के निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन हेतु स्थापित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या मु0अ0–4(मु0)विविध(कार्य)–23–30 / 2016 1360 / पटना, दिनांक 24.06.2016 की कंडिका 3(iii) में "एक स्वतंत्र अभियंता के लिए दो PIU होगें" के स्थान पर "एक स्वतंत्र अभियंता के जिम्मे एक PIU होगें"के संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक में दिनांक 13.09.2019 के मद संख्या 02 के रूप में स्वीकृत है।

5. विभागीय संकल्प संख्या मु0अ0–4(मु0)विविध(कार्य)–23–30 / 2016 1360 / पटना, दिनांक 24.06.2016 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

17/9/19

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों में एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17/9/19

(विनय कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0(मु0)विविध(कार्य)– 23–250/19 5018 पटना/दिनांकः– 18/9/19

प्रतिलिपिः– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/9/19
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0(मु0)विविध(कार्य)– 23–250/19 - 5018 पटना/दिनांकः– 18/9/19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/9/19
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0(मु0)विविध(कार्य)– 23–250/19 - 5018 पटना/दिनांकः– 18/9/19

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/9/19
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0(मु0)विविध(कार्य)– 23–250/19 5018 पटना/दिनांकः– 18/9/19

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह –सचिव, ब्राडा/सभी मुख्य अभियंता /सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/9/19
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0(मु0)विविध(कार्य)– 23–250/19 - 5018 पटना/दिनांकः– 18/9/19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पाँच सौ प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

17/9/19
सरकार के सचिव